

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक एफ.29(3)का.भ.नि/मो./आईसीडीएस/2017-2018-254

जयपुर दिनांक: 22/12/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद डूंगरपुर,

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यनिधि के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना, कार्यालय भवनो के चार दिवारी निर्माण कार्य की राशि जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) डूंगरपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की प्रशासनिक स्वीकृति बाबत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यनिधि मद के अन्तर्गत निम्नांकित बाल विकास परियोजना कार्यालयों के चार दिवारी भवन निर्माण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रूपये 15.02 लाख (अक्षरे राशि रु. पन्दह लाख दौ हजार मात्र) हस्तान्तरित किये जाने की निम्नानुसार प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	निर्माण कार्य का विवरण (चार दिवारी निर्माण कार्य)	राशि रु. (लाख में)
1.	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय डूंगरपुर	03.99
2.	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सांगवाडा	07.20
3.	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बिच्छीवाडा	02.78
4.	बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय आसपुर	01.05
	योग	15.02

उक्त राशि निम्न बजट मद से प्राभार्य होगी:-

- 4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय।
- 02- पोषक योजना तथा सुपेय का वितरण।
- 800- अन्य व्यय।
- (03)- भवन निर्माण
- 00 :-
- 17- वृहद निर्माण कार्य (राज्यनिधि)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 101706551 दिनांक 19.12.17 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। इस राशि के उपयोग हेतु RTPP Act की पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.29(3)का.भ.नि/मो./आईसीडीएस/2017-2018-13 जयपुर दिनांक: 22/12/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), लेखा परीक्षा-प्रथम, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, मुख्यालय, राज. जयपुर।
5. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित जिला कोषालय को राशि 15.02 (अक्षरे राशि रू. पन्दह लाख दौ हजार मात्र) जिला परिषद (ग्रामीण विकास विभाग) डूंगरपुर के निजी निक्षेप खाते मे हस्तान्तरित करावाये जाने की स्वीकृति शीघ्र प्रसारित कर सूचित करने का श्रम करावें।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, राज. जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, डूंगरपुर।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति, डुंगरपुर/ सांगवाडा/ बिच्छीवाडा/ आसपुर।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, डूंगरपुर/ सांगवाडा/ बिच्छीवाडा/ आसपुर।
- ✓ 11. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(59)वित्त-1(1)आय.व्य/2016
कोषाधिकारी,
डूंगरपुर।

जयपुर, दिनांक : 28.12.17

(स्वीकृति संख्या-573/2017-18)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद डूंगरपुर के पी.डी. खातों में राशि रुपये 15.02 लाख का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ. 29(3) का.भ.नि/मो./आईसीडीएस/ 2017/200254 दिनांक 22.12.2017 में अंकित शर्तों के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद डूंगरपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रु. 15.02 लाख (अक्षरे रुपये पंद्रह लाख दो हजार मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे:-

मांग संख्या-33

4236 - पोषण पर पूंजीगत परिव्यय

02 - पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

800 - अन्य व्यय


(03) - भवन निर्माण

17 - वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)

राशि रुपये 15.02 लाख


उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 2 शासन सचिव, एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
- 3 निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, जयपुर।
- 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद डूंगरपुर।
- 6 अतिरिक्त निदेशक वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
- 7 वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त(बजट)(सार्वजनिक निर्माण विभाग)विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त राशि LOC मॉड्यूल से विभाग को राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावे।
- 8 तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर।
- 9 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
- 10 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)